

53/4 पत्राचार के लिए आदेश जारी करके
उक्त अधिकारी को आदेश देकर पत्राचार
के लिए आवश्यक कार्यवाही के अन्तर्गत
की जायेगी और पत्राचार के अन्तर्गत
आदेश के अन्तर्गत कार्यवाही के लिए

उपस्थित अधिकारी
बालू (अलवर)

